उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–275–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2020–01–पें0एवंआर/14,   दिनांक : 07 मार्च, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं
केस्को, कानपुर

विषय : कोषागारों के परिवर्तन के फलस्वरूप पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में आ रही कठिनाइयों एवं समस्याओं के दृष्टिगत उनकी पेंशन इकाई को परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जो अपनी सुविधानुसार पेंशन के आहरण हेतु अपने नजदीकी कोषागार से पेंशन प्राप्त करने हेतु कोषागार को परिवर्तित करा लेते हैं, उनके पूर्व निर्धारित पेंशन भुगतान इकाईयों का परिवर्तन न होने के कारण इन्हें चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में काफी कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः इस सम्बन्ध में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के कोषागार परिवर्तन के फलस्वरूप उनके पेंशन भुगतान इकाई को भी निम्नलिखित शर्तों/प्राविधानों के अधीन परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1– पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पूर्व से निर्धारित पेंशन भुगतान इकाई को परिवर्तित किये जाने हेतु सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को उस स्थान का अद्यतन तक विभागीय विद्युत देयों को जमा कर विभागीय विद्युत संयोजन का स्थायी विच्छेदन (Permanent Disconnection) कराकर स्थायी विद्युत विच्छेदन का सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप/आदेश को पूर्व पेंशन भुगतान इकाई को उपलब्ध कराया जाना होगा।

2– पूर्व पेंशन भुगतान इकाई द्वारा पेंशनर को किस दिनांक तक चिकित्सा भत्ता का भुगतान कर दिया गया है, की सूचना नयी/परिवर्तित पेंशन भुगतान इकाई को उपलब्ध कराना होगा।

3– पूर्व पेंशन भुगतान इकाई द्वारा पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का कोई दावा यदि कार्यालय/इकाई में स्वीकृति की कार्यवाही हेतु लम्बित है तो उसकी सूचना परिवर्तित पेंशन इकाई को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे को उपलब्ध कराते हुये स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही हेतु अनुरोध कर लिया जाये, साथ ही यदि कोई चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा स्वीकृत कर दिया गया है परन्तु उसका भुगतान नहीं हो सका, तो उक्त की सूचना, कि सम्बन्धित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान निधि को उपलब्ध होने पर किया जायेगा, को परिवर्तित पेंशन इकाई को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

क्रमशः...2

4– पूर्व पेंशन भुगतान इकाई द्वारा पेंशन इकाई परिवर्तन की सूचना आवश्यक रूप में सम्बन्धित पेंशन स्वोकृत अधिकारी/पेंशन निदेशालय को पेंशन प्रपत्र अग्रसारण अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को उपलब्ध करा दिया जाये।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–275(I)पें0एण्डआर0–28/पाकालि/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/समस्त डिस्कॉम।
7. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
8. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/समस्त डिस्कॉम।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाईल।

आज्ञा से,

07.03.2020

(सैयद आरिफ हैदर)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)